

28/01/21

238
CE(P)/ARO

30-01-21
M.D. तिथि

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे.

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोगी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत मरगांव-जसपुर-चमियारी से उलण तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण का विस्तार कार्य की द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय:

पर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग पाड़ी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिसकी कुल लम्बाई 5.00 किमी 00 मी. लागत ₹ 421.29 लाख है, पर शासन द्वारा पंरीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 330.02 लाख (३० तीन करोड़ तीस लाख दो हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की रवीकृति प्रदान करायी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (१ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवेदन के जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से नहीं हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की रवीकृति का नाम आहरण नहीं किया जायेगा।
- (iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलरटोन एवं समय-सारणी रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाली सुनिश्चित की जायेगी।
- (iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debit able आधार पर अन्य एजेंसी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवरथा में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- (v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित जापानी अभियन्ता का होगा।
- (vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय न किया जाये।
- (vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना चाहिए वह करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

~

(ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागों वज्र से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समरत दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। तथा वित्त अनुभाग-01 के शासनादेश सं0- 571 / XXVII(1)/2010 दिनांक 19.10.2010 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित रखा जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित रखा जायेगा।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीषक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा सङ्कों-337 सङ्क निर्माण कार्य-02 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहत निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 817 / XXVII(2)/2020 दिनांक 25 जनवरी 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
रमेश कुमार सुलाल
सचिव

संख्या— / 111(2)/20-02(एम०एल०ए०) / 2017 टी.सी.—। तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, पौड़ी।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/उत्तरकाशी।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, ६वाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड।
11. गार्ड बुक।

मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

आज्ञा से

फूली: 71 / 20प्राप्त/02/21

13-01-2021

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

- मैं इन्हानुसार आवश्यक कार्यकारी दंड प्रभित,
1. डो०नुस्ख आभिं०, लो०नि०वि०, पौड़ी,
 2. डाधी०आभिं० ०६ वाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी।
 3. डाधी०आभिं० नि०र०९०, लो०नि०वि० विचालीसौड।
 4. डाधी०आभिं० आई०टी०सैलकाम्पलप प्रमुख आभिठाव विचालीसौड।
 5. निं०आभिं० प्रा०/बजट वर्ग कम्पलप ब्रम्मुख आभिठाव एवं विचालीसौड।

वरिष्ठ प्रशासनिक ०१०२१
राज्य प्रमुख अभियन्ता एवं निर्माण
विभाग



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -105/III(2)/21-02(MLA)/17T.C-I
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21010220017
आवंटन पत्र दिनांक-27-JAN-2021

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

04-District and other Roads

337-सडक निर्माण कार्य

03-राज्य सेक्टर

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
800-03-02 से स्थानान्तरित)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्याप	योग
53-वृहद निर्माण	2560000	10000	0	2570000
योग	2560000	10000	0	2570000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER